

3/1/19

अधिवक्ता प्राची उपस्थित। अप्राची सरख्या 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित। आज उन्हें अदालत उठने तक तीन बार आवाज लगावई गई परन्तु उसकी ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया अतः अप्राची सरख्या एक की खतरफा धारणा अदालत में लाई जाती है। अप्राची 2,3 प्रोफाउर पेशकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.J Act पर क्वेश अधिवक्ता प्राची सुनी गई। अधिवक्ता प्राची ने निवेदन किया कि मेरी आधी श्रमिया है। उस पर मुझे काश्त करने के व उस हेतु अप्राची सरख्या 1 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। क्वेश के परिप्रेष के पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि ग्राम देवमगरी पञ्चवार एल्का केरिया तहसील मधुवा की जमावरी सम्वत 2069-2072 के खाल सरख्या 71 के प्राची की 1/2 हिस्से की श्रमिया है। ऐसि स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम देवमगरी पञ्चवार एल्का केरिया तहसील मधुवा के खाल नम्बर

81	33	39	41/1	41/2
03-9-10	10-19-0	01-7-10	0-03-0	0-03-0
43/1	43/2	49	51	65/1
0-10-0	02-03-0	02-5-10	01-5-0	02-07-0
65/2				0-11-0
154	267	401	402/1	493
01-0-0	02-9-0	01-15-0	01-0-0	01-4-0
94/1				94/1
01-10-10				01-06-0

श्रमियो में प्राची के आधे हिस्से की श्रमियो में अप्राची सरख्या 1 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैतला बाद तक पाबन्द किया जाता है। कि प्राची के हिस्से की श्रमियो में काश्त करने एवं उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे। मिसल पैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है। बाद क्वेश दारिकल लेकर बाद के साथ नहीं हो।

आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्यतसिंह गुण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक क्लर्क
मसूदा (अजमेर) राज.

